

# कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

#### EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANIZATION

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(Ministry of Labour and Employment, Govt. of India)

उप क्षेत्रीय कार्यालय/Sub Regional Office

वी.के. कोंप्लेक्स, फोर्ट रोड कण्णूर-1 / V.K. Complex, Fort Road, Kannur-1

दूर भाष/Phone No.0497 2703760,2712388, फेक्स/Fax: 2712355

ई. मेल/E Mail: sro.kannur@epfindia.gov.in वेब सैट:/Web Site:www.epfindia.gov.in

सं. के.आर/के.एन.आर/प्रशा/के.टे/ स्टाफ कार / 2015

दिनांक: 05/1/2017

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) के उप क्षेत्रीय कार्यालय, वी.के. कॉंप्लेक्स, फोर्ट रोड, कण्णूर 670001 के कार्यालयीन प्रयोजनार्थ किराए आधार पर एक वाहन (सं- 1) उपलब्ध कराने के लिए यात्रा एजंसियों से क्वेटेशन आमंत्रित किए जाते हैं।

टाटा इंडिगो (सी.एस/ई सी.एस) मारुति स्विफ्ट डीसायर/ महींद्रा वेरिटा या सम श्रेणी की या मध्यम श्रेणी की कार जो कि 2015 या बाद में बनाई गई हो।

क्वटेशन निर्धारित प्रपत्र में तैयार करके साथ ई.एम.डी स्वरूप रू. 5000/; का डी.डी जो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कण्णूर के नाम से आहरित हो साथ संलग्न करना अपेक्षित है। बिना ई.एम.डी साथ संलग्न क्वटेशन रद्ध कर दिया जाएगा। बोली अंतिम रूप से निर्णय किए जाने पर ई.एम.डी राशि लौठा दी जाएगी।

मुहर बंद लिफाफे में कवटेशन प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 20/1/2017 अप: 4.00 बजे तक है।

बोली दिनांक 23 /1/2017 को पूर्व: 11.00 बजे सहायक भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासन) द्वारा खोली जाएगी। बोली भेजने वालों , यदि इच्छुक हो, तो, उनके एक- एक प्रतिनिधि को बोली खोलते वक्त उपस्थित होने की अनुमती दी जाएगी।

## बोली संबंधी ब्यौरा

- क. मासिक किराए आधार पर निश्चित प्रभार की गणना वाहन के 2,300 कि.मी प्रति माह दौड के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए। चालक एवं वाहन की डयूटि समय सभी दिनों में पूर्वा: 8.00 बजे से अप: 7.00 बजे तक होगा। यदि आवश्यकता पडने पर वाहन को 24 घंटे डयूटि पर रखा जा सकता है। इस अतिरिक्त समय के लिए समयोपरि भत्ता स्वीकार्य है। (क.भ.नि.सं के कार्यालय द्वारा कि.मी एवं घंटों का निर्णय किए जाएगा)
- ख. उपर्युक्त के अतिरिक्त अतिरिक्त मैलेज के लिए अलग से दर निर्धारित किया जाना चाहिए। जारी......2/-

ग. उल्लिखित दर, सेवा कर एवं किसी अन्य कर/लेवि/सरकारी देय, (यदि कोई हो) वाहन चालक का मासिक वेतन, इंधन का लागत तथा अन्य उपयोगी चीजें के लागत, अन्यथा विशेष रूप से उपलब्ध न किया गया हो, सिम्मिलित होना चाहिए। वाहनों को किराए पर लिए जाने संबंधी निबंधें और शर्तें निम्नानुसार होंगी।

### निबंधें और शर्तें

- 1. ठेके की अविध ठेके की प्रारंभ तिथि से एक वर्ष के लिए होगी बशर्त कि उक्त अविध एक या अधिक वर्ष के लिए बढाई जा सकती है। उसके बाद संगठन अपने विवेक से वर्तमान /पिरशोधित निबधों और शर्ती, जो भी उचित हो, अविध बढाई जा सकती है।
- वाहन चालक के सभी खर्च /प्रभार , तेल, पेट्रोल/डीसल, बीमा, कर, वाहन की मरम्मत, वाहन का रखरखाव आदि सभी खर्च (विभिन्न नामों से जाना जाता हैं) सफल बोली लगनेवाले (एतदपश्चात दूसरी पार्टी जानी जाएगी) को वहन करना होगा।
- 3. वाहन चालक एवं वाहन को मोटोर वाहन अधिनियम एवं अन्य संगत नियमों से संबंधी सभी प्रावधानों का सक्त अनुपालन करना चाहिए। चालक को हर समय वर्दी पहना चाहिए (सफेद कमीज और पतलून) । चालक की सेवाएं संतोषजनक होना चाहिए। उनकी सेवा को जारी रखना या उनकी सेवा समाप्त करना नियंत्रण अधिकारी पर निर्भर होगा। क्षे.भ.नि.आ की अनुमति भिना चालक को कार्यालय से बाहर नहीं जाना चाहिए। किसी भी चालक एक बार विभाग के एक अधिकारी के अनुदेशों के तहत निकाले जाने पर फिर से उन्हीं को विभाग के किसी अन्य अधिकारी के साथ नौकरी पर नहीं रखी जाएगी।
- दुखर्टना/ रैश ड्राइविंग आदि के फलस्वरूप उल्पन्न सभी कानूनी एवं वित्तीय मामलों के एकमात्र उत्तरदायी दूसरी पार्टी/चालक होंगी।
- 5. क.भ.नि.सं के कण्णूर सिथत कार्यालय (एतदपश्चात प्रथम पार्टी जानी जाएगी) द्वारा मैलेज का गणना किया जाएगा।
- 6. मैलेज की गणना में तेल भरने के लिए लिया गया समय, मर्मत एवं रखरखाव के लिए लिया गया समय घटाया जएगा।
- 7. यदि किसी भी कारणवश वाहन के ब्रेक डाउन की स्थिति में , या तो वाहन की मर्मत की स्थिति में या तो वाहन चालक की शराबी स्थिति में आधा घंटे की समयाविध में दूसरी पार्टी को दूसरी गाडी एवं चालक को मुहैया करनी चाहिए। तथापि दूसरी पार्टी ऐसा करने में विफल होने की स्थिति में या मुहैया की गई गाडी अच्छी हालत में न हो तो, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, दूसरी गाडी किराए पर लेने के लिए बाध्य है तथा उक्त के संबंधी सभी प्रभार एवं दांडिक राशि स्वरूप प्रति दिन रू 1,500/- दर से दूसरी पाट्री से वसूली जाएगी।
- 8. 45 दिन की अग्रिम नोटिस दूसरी पार्टी को देकर किसी भी पार्टी द्वारा वाहन किराए संबंधी करार समाप्त की जा सकती है।
- 9. वाहन एवं चालक, क्षेत्र/अंचल सीमा के बाहर भी जाने के लिए तैयार एवं पात्र होना चाहिए। जारी.......3/-

- 10. दूसरी पार्टी द्वारा दिए गए मासिक बिल के आधार पर, जिसमें से आयकर अधिनियम के तहत लागू कर (श्रोत पर) घटाकर आदाता के खाते में देय चेक के जरिए किराए का भुगतान किया जाएगा ।
- 11. उच्च दर से किराए प्रभार की गणना करने के लिए दूसरी पार्टी द्वारा लोग बुक उपलब्ध करना चाहिए। लोग बुक का प्रपन्न वहीं हो जो केंद्र सरकार/क.भ.नि संगठन अपनी सरकारी वाहन के लिए प्रयोग किया जा रहा हो। दूसरी पार्टी द्वारा लोग बुक का अनुरक्षण किया जाना चाहिए तथा उक्त का प्रतिदिन आदार पर उनके द्वारा या उनके प्राधीकृत पदाधिकारी द्वारा प्रथम पार्टी से सत्यापित किया जाना चाहिए। ठेके के समापन पर लोग बुक दूसरी पार्टी के समक्ष रखी जानी चाहिए।
- 12. वाहन चालक/वाहन के ड्यूटि पर रिपोर्टिंग के लिए समय सीमा का सक्त अनुपालन होना चाहिए यदि आदा घंटे से ज्यादा विलंब की स्थिति होती है तो प्रथम पार्टी अन्य चालक द्वारा संचालित वाहन किराए पर लेने केलिए हकदार है तथा उक्त से संबंधित किराए/प्रभार की राशि प्रतिदिन रू 1,500/- दांडिक राशि सहित दूसरी पार्टी को देय मासिक किराए में से घटाई जाएगी।
- 13. यदि समय-समय पर दूसरी पार्टी द्वारा वाहन को उचित रखरखाव एवं मर्म्मत नहीं करते, तो प्रथम पार्टी अपने विवेक से उक्त मम्र्मत करवा सकते हैं तथा संबंधित खर्च दूसरी पार्टी को देय किराए से वसूला जा सकता है। यदि 15 दिन नोटिस के बाबजूत दूसरी पार्टी अपने वाहन को अच्छी हालात में रखने पर विफल होने की स्थिति में यह करार रद्ध कर दी जाएगी।
- 14. वाहन संबंधी सभी खर्चे तथा कानूनी अनिवार्यताएं का निर्वहन दूसरी पार्टी द्वारा करना चाहिए ।
- 15. अन्यथा विशेष उल्लेख न किया हो, मासिक किराए में कर, लेवि , सेस अदि सहित होंगे।
- 16. दूसरी पार्टी द्वारा मासिक किराए संबंधी बिल अगले माह के 15 वीं को या उसके पहले प्रथम पार्टी को प्रस्तुत करेंगे। तथापि वाहन के संपूर्ण दौड की गणना करार की समाप्ति पर परिशोधित किया जाएगा। 2,300 कि.मी प्रतिमाह से ज्यादा मैलेज के लिए किराए का भुगतान दूसरी पार्टी द्वारा घोषित दर में किया जाएगा।
- 17. वाहन/वाहन चालक की इयूटि अविध सभी कार्य दिवस में पूर्वाहन 8.00 बजे से अप: 7.00 बजे तक रहेगी। यदि आवश्यक हो तो चालक को 24 घंटे डयूटि के लिए रख सकते हैं जिसके लिए निर्धारित अतिरिक्त समयोपिर भत्ता देय है। यदि वाहन चालक शराब के या अन्य कोई मादक पदार्थ के सेवन से लत हो तो दंण्ड स्वरूप राशि रू 1,500 किराए से घटाई जा सकती है।

- 18. बोली मिलने वाले सफल व्यक्ति को पंजीकरण बुक की मूल प्रति, बीमा संबंधी कागजातें , प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रमाण पत्र , वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र आदि ठेके के निष्पादन करते वक्त प्रस्तुत करना चाहिए तथा इसकी साक्ष्यांकित प्रतियाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में रखी जाएंगी। ठेके हस्ताक्षरित करने के पहले वाहन को निरीक्षण के लिए लाना चाहिए।
- 19. वाहन में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निर्धारित संगठनाल्मक बोर्ड रखा जाना चाहिए जिसके लिए अलग से किसी राशि का भुगतान नहीं की जाएगी। चूँकि वाहन कार्यालयीन उपयोग के लिए हो, वाहन में उपर्युक्त के अलावा कोई नाम, निशान, नहीं छिपका लेना/पेंट किया जाना चाहिए।
- 20. ठेके अविध में इंधन, इन्शेरंस//जीवन निर्वाह व्यय आदि में हुई बढोत्री का कारण बताकर दर/किराए राशि प्रति कि.मी की कोई वृद्धि संबंधी अनुरोध स्वीकार नहीं है।
- 21. सफल बोली लगानेवाले को ठेके हस्ताक्षरित करने के 15 दिन पहले वार्षिक राशि का 15 प्रतिशत दर से केंद्रीय न्यासी बोर्ड , क.भ.नि.सं के नाम पर गारंटी देना अपेक्षित है। ठेके के सफलतापूर्वक निष्पादन पर उक्त राशि ठेके अविध के बाद विमोचित की जाएगी।

इच्छुक एजंसी अपनी निविदा मुहर बंध लिफाफे में निम्न लिखित पते में भेजी जाए।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उप क्षेत्रीय कार्यालय, वी. के. कॉप्लेक्स, फोर्ट रोड, कण्णूर - 670 001

निवदा के लिफाफे के उंपर ' किराए पर वाहन के लिए ठेके ' अधिलेखित लिखा जाना चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, उप क्षेत्रीय कार्यालय, कण्णूर किसी ठेके को स्वीकारने या किसी भी टेकेदार का कोटेशन निरस्त करने के कारण बताने के लिए भी बाध्य नहीं है।

के. मुत्तुसेल्वन)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त - ॥

# निविदा का फार्मेट

1	निविदाकार का नाम, पता एवं दूर	
	भाष सं	
2	पान/टान (PAN/TAN) संः	
3	सेवा कर पंजीकरण सं/वाट(VAT)सं/ दूकान एवं स्थापना पंजीकरण सं आदि	
4	वाहन का पंजीकरण सं/पंजीकरण वर्ष मेक(Make) मोडल नं	
5	ई.पी.एफ/ई.एस.आई.सी/श्रमिक आदि पंजीकरण नं	
6	मांग ड्राफट (डी.डी) का ब्यौरा	

1	2,300 कि.मी दौड के लिए निश्चित	
	मासिक दर	
2	2,300 से ज्यादा कि.मी की दौड के	
-	लिए प्रति कि.मी दर	
3	समयावधि पूर्वा: 8.00 बजे से सायं:	
	7.00 के बाद अतिरिक्त दर प्रति	1 -
	घंटा ।	to the second discount of the second
4	प्रति रात समयोपरि भत्ता	•

में इस निविदा से संबंधित सभी निबंधें और शर्तें पढ लिया एवं समझ गया तथा उक्त के पालन करने के लिए सहमत हूँ ।

निविदाकार का नाम एवं उन्के हस्ताक्षर

स्थान:

तिथि:

# भविष्य निधि संगठन

(श्रम एवं रोजगार् मंत्रालय, भारत सरकार)

#### EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(Ministry of Labour and Employment, Govt. of India)

#### उप क्षेत्रीय कार्यालय/SUB REGIONAL OFFICE

वी.के. कॉप्लेक्स, फोर्ट रोड़, कण्णूर/ V.K.COMRPLEX, FORT ROAD, KANNUR

दूर भाष/Phone No.0497-2703760, 2712388, फैक्स्/ Fax: 2712355

ई-मेल/E-mail: sro.kannur@epfindia.gov.in वेब सैट/Website: www.epfindia.gov.in

Dated: 05.01.2017

No. KR/KNR/Admn./CT/2015/Staff Car/

Sealed quotations are invited from the registered travel agencies/persons for providing one(1 No.) vehicle on hire on monthly basis for Official purpose for Employees' Provident fund Organisation(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India), Sub-Regional Office, VK Complex, Fort Road, Kannur-670 001.

Type of vehicle required- TATA Indigo (CS/eCS) / Maruthi Swift Dzire/ Mahindra Verita or equivalent to mid segment car, which should be of make 2015 or later.

The quotations as per the format should be accompanied by an EMD of Rs.5,000/- in the form of DD in favour of Regional PF Commissioner, Kannur. Quotations received without EMD shall be rejected. EMD will be returned on finalization of the bid.

The last date for receipt of sealed quotations is by 4.00PM on 20.01.2017.

The bid shall be opened at 11.00AM on 23.01.2017 by the Assistant Provident Fund Commissioner(Administration). One representative of each bidder shall be permitted to be present, if they so desire.

#### BID DETAILS

- The basis for calculation of the fixed monthly hiring charge should be for a run of 2300 KM per month and the duty hours for the Drivers and Vehicle will be from 8.00AM to 7.00PM on all days. However, in case of requirement, vehicle can be retained for 24hours duty and over time shall be allowed. (The Kms/Hrs shall be reckoned from the office of EPFO).
- 2. Rate for extra mileage beyond the above shall be separately specified.
- 3. The rates quoted should be inclusive of Service Tax and any other taxes/ levies/ Government dues, monthly wages of the driver, cost of fuel and consumables except specifically provided as otherwise

Hiring of vehicles will be governed by the following terms and condition

#### TERMS AND CONDITIONS

- The period of contract will be initially for one year from the date of commencement of the contract subject to renewal for one or more year(s) after that, on the sole discretion of EPFO on existing/revised terms and conditions, as the case may be.
- 2. All the expenses/charges of the driver, oil, petrol/diesel, insurance, taxes, repairs and maintenance etc, of the vehicle by whatever name called will be borne by the successful bidder(hereinafter known as second party).
- 3. The driver and vehicle must comply with all relevant laws. The driver must wear the uniforms(white shirt/Pants) at all times. His service will be subject to satisfaction of the Controlling Officer. The driver shall not leave the Office without the permission of RPFC. Any driver once removed on instructions of an Officer shall not be employed with any other Officer in the Department.
- 4. The second party/driver will be wholly and solely responsible for and liable to all legal and financial consequences arising out of rash driving/accident etc.
- 5. The mileage will be counted from the Office of EPFO, Kannur (hereinafter known as First Party).
- 6. The mileage and time consumed for fuelling repair and maintenance of the vehicle will be excluded.
- 7. In case the vehicle breaks down or is under repair or the driver is absent, or the driver is found drunken alternative vehicle and driver will be provided by the second party within half-hour. However, in case Second Party fails to do so, or the alternative vehicle/driver is not upto mark, the Employees Provident Fund Organisation would have the right to hire another vehicle and recover the charges for the same alongwith penalty @1500/- per day from the Second party.
- 8. The vehicle hire agreement can be terminated by either party after serving 45 days advance notice on the other party.
- 9. The vehicle and the driver should be eligible and willing to travel outside the territorial jurisdiction of the Region/Zone also.
- 10. On the basis of monthly bills raised by the second party, the hire charges will be paid through account payee cheque after deducting Tax at source as per the Provisions of the Income Tax Act as applicable.
- 11. For the purpose of calculating hire charges payable, Log Book shall be provided by the second party. Form of the Log Book will be the same as maintained by the Central Government/EPF Department for their official vehicle. The Log Book shall be maintained by the Second party and it has to get the same verified on day to day basis from first party either himself or through an officer designated by him. After the completion of the contract, the Log Book shall be deposited by the Second party.
- 12. The time limit for reporting of the driver/vehicle should be followed strictly and in the case of delay for more than half an hour, the first party will be entitled to hire another Chauffer-driver vehicle and recover the charges for the same from the hiring charges payable to the second party along with penalty of Rs.1500/- per day of such default.
- 13. In case timely and proper maintenance and repairs of the vehicle are not carried out by the second party, the first party will be within its right to carry out the repairs and deduct the

- amount from the hire charges payable. The hire agreement will be terminated if the vehicle is not kept in well-maintained condition by issuance of 15 days notice in advance.
- 14. All the expenses and legal formalities relating to the vehicle should be borne and performed by the second party.
- 15. The monthly hire charges will be inclusive of all taxes, levies, cess etc except specifically provided as otherwise.
- 16. The Second party should submit bill for monthly hire charges on or before 15 of the following month and payment will be made by the First party accordingly. However, the total running of vehicle will be reviewed at the end of the agreement. Payment for the remaining mileage in excess of 2300 Kms per month will be made the rates as quoted by the second party.
- 17. The duty hours for the drivers and vehicle will be from 08.00AM to 07.00PM on all days. In case of requirement, driver can be retained for 24 hours duty and overtime shall be allowed. In case the driver found to be under the influence of liquor or any other intoxication including drugs, penalty of Rs.1500/- shall be deducted from the rent.
- 18. The successful bidder shall produce the original registration book, insurance paper and Pollution Under Control Certificate and Fitness Certificate of the vehicle at the time of signing of contract and an attested Xerox Copy shall be retained by the Office of the Regional Provident Fund Commissioner. The vehicle shall also be produced for physical inspection before signing of the contract.
- 19. The vehicle should carry an organization board as designed by the Regional Provident Fund Commissioner, for which no separate payment shall be made. There should not be any names written, symbols painted on the vehicle as vehicle will be used for Official purpose.
- 20. No request for enhancing he rate/rental amount per KM due to hike in fuel price/insurance/rise in cost of living index, etc during the contract period will be allowed.
- 21. The successful bidder will be required to furnish Bank Gurantee in the name of CBT EPF for an amount of 10% of the annual amount within 15 days of award of contract, which will be released to the second party on satisfied completion of contract.

The interest Agency may send their sealed Tender to the following address

The Regional Provident Fund Commissioner Employees Provident Fund Organisation Sub-Regional Office, VK Complex, For Road, Kannur – 670 001

The tender should superscribe the envelope with "Quotation for hiring of Vehicle". The Employeees' Provident Fund Organisation, Sub-Regional Office, Kannur reserves the right to reject any tender without assigning any reason.

(K.MUTHUSELVAN) REGIONAL P.F.COMMISSIONER-II

B/6 Month

#### FORMAT OF TENDER

1	Name, Address & Telephone No. of the Tenderer	
2	PAN/TAN No.	
3	Service Tax Registration No./ VAT No./ Shops & Estts. Registration No. etc	
4	Year/Make/ Model of the Vehicle with Registration No.	
5	EPF/ESIC/ Labour etc Registration No.	*
6	Demand Draft details	
1	Fixed monthly charge for the run of 2300 KMS	
2	For every extra kilometer beyond 2300 KMS per month	
3	Rate for every extra hour beyond 8.00AM to 7.00 PM	\ \ \
4		

I have read the general terms and conditions of this tender and have understood and agree to abide by the same.

NAME AND SIGNATURE OF TENDERER

Place : Date :